न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 95/2018
निर्णय दिनांक : 24.06.2019

उनवान

1. छितर मल कुमावत पुत्र श्री नारायण जाति कुमावत निवासी दहमी कला, उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. गणपत पुत्र मोहरिया जाति कुमावत निवासी दहमी कला, उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सीताराम पुत्र नाथू जाति कुमावत निवासी दहमी कला, उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. संतरा देवी पत्नी श्री सीताराम जाति कुमावत निवासी दहमी कला, उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील–सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू.रा.अ. 1956

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि राजस्व ग्राम दहमी कलां, पटवार हल्का दहमी कला, भू0अभि0 नि0 क्षेत्र ठिकरिया उप तहसील बगरू सांगानेर जिला जयपुर के अन्तर्गत के नामान्तकरण संख्या 898 दिनांक 20.02.2018 के द्वारा खसरा नम्बर 2978/2018 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता एक कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर सम्पूर्ण प्रार्थी की खातेदारी भूमि है एवं उक्त ग्राम के ही खसरा नम्बर 2018/2562 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2979/2018 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 के खसरा नम्बर लगवा कृषि काश्त की भूमि स्थित है। जिसके कारण आये दिन भूमि की मेड सीव के लिये झगड़ा होता रहता है। अप्रार्थीगण मनमर्जी के अनुसार चारों तरफ मेड सीव काटने से अतिक्रमण किये जाने के कारण जमीन का भौतिक रकबा कम हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। जिस कारण प्रार्थी के हिस्से की भूमि का भौतिक माप कम हो गया है। जिसके कारण प्रार्थी को भूमि का भौतिक कब्जे का नुकसान हो रहा है। उक्त कृषि भूमि का दिनांक 23.03.2018 को उप तहसीलदार बगरू के आदेश क्रमांक/एलआर/114 दिनांक 22.02.2018 की पालना में ग्राम दहमीकलां के खसरा नम्बरान 2978/2018 रकबा 0.11 हैक्टेयर का सीमाज्ञान किया गया। जिसमें पटवारी, गिरदावर द्वारा केवल मात्र सरसरी तौर पर मनमर्जी से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के प्रभाव में आकर मात्र औपचारिक निरीक्षण किया गया। प्रार्थी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को राजस्व नक्शा अनुसार माप कर प्रार्थी के हित में कोई सीमा चिन्ह नहीं लगाये गये। राजस्व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 को केवल मात्र लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से औपचारिक सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थी को आये दिन मौके पर सीमा बाबत अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 एवं इसके प्रतिनिधियों द्वारा झगडा–फसाद किया जा रहा

उप–खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

है। प्रार्थी को जबरन हैरान –परेशान किया जा रहा है। इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का पुनः सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाह रहा है। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सके।

प्रा. पत्र पेश होने पर उसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। दिनांक 22.01.2019 को पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 एव 4 के नोटिस बाद तामिल शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण 2 एवं 3 को पुनः नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.05.2019 को पत्रावली पेश हुयी, अप्रार्थीगण 2 एवं 3 के रजिस्टर्ड नोटिस शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी 4 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू.रा.अ. 1956 पर सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तत्थो को दोहराते बताया गया कि प्रार्थीगण जिनकी नामान्तकरण संख्या 898 दिनांक 20.02.2018 के द्वारा खसरा नम्बर 2978/2018 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता एक कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर ग्राम दहमी कलां, पटवार हल्का दहमी कला, भू0अभि0 नि0 क्षेत्र ठिकरिया उप तहसील बगरू सांगानेर जिला जयपुर है। जो सम्पूर्ण प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जो काबिज होकर उक्त कृषि भूमि का उपयोग कर रहे है। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 23.03.2018 को अप्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त खसरों का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है, जिसके अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किये जावे।

हमने वकीलप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की वाके ग्राम दहमी कलां, पटवार हल्का दहमी कला, भू0अभि0 नि0 क्षेत्र ठिकरिया उप तहसील बगरू सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित नामान्तकरण संख्या 898 दिनांक 20.02.2018 के द्वारा खसरा नम्बर 2978/2018 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता एक कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर का सीमाज्ञान रिपोर्ट 23.03.2018 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप–खण्ड अधिकारी
(घन[illegible])
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner